



UPKJ01000577-2019

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०)

कक्ष सं०-1, कन्नौज।

उपस्थित- श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-97/2019

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

अनिल शुक्ला पुत्र रामशंकर शुक्ला,

निवासी-मो० सरदार गली सरायमीरा थाना व जनपद कन्नौज।अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या-191/2018

धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम 2003

थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज के मुकदमा अपराध संख्या-191/2018 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त **अनिल शुक्ला** के विरुद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 का अपराध आरोपित है।
2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर (प्रदर्श क-1) के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 16.03.2018 को समय 14.25 बजे मोहल्ला सरदार गली सरायमीरा में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गयी। जांच टी में, मैं राजेश कुमार अवर अभियंता बहादुरपुर, दीपचन्द्र अवर अभियंता मकरन्दनगर, याशीन खां टी.जी.-2 के साथ उपभोक्ता अनिल शुक्ला पुत्र रामशंकर निवासी मोहल्ला सरदार गली सरायमीरा, कन्नौज संयोजन संख्या-1213/40874 बकाया धनराशि मु०-1,05,432/-रूपये का पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बगैर बकाया भुगतान किये अवैध रूप से जुड़ा एवं चालू पाया गया। अतः मुल्जिम उपरोक्त के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये।
3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त **अनिल शुक्ला** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं

आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त दिनांक 30.07.2025 को अभियुक्त **अनिल शुक्ला** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरुद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 अवर अभियंता राजेश कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क-1 दर्शाकित कराया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है-

7. अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 अवर अभियंता राजेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.03.2018 को समय 14:25 बजे मौहला सरदार गली सरायमीरा में सघन चैकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार उपभोक्ता के पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गई। जांच टीम में, मैं व दीपचन्द्र अवर अभियन्ता मकरन्द नगर व याशीन खाँ टीजी-2 के साथ उपभोगकर्ता का पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बगैर बकाया भुगतान किये अवैध रूप से जुड़ा एंव चालू पाया गया। अभियुक्त अनिल शुक्ला पुत्र रामशंकर शुक्ला निवासी सरदार गली सरायमीरा कन्नौज का संयोजन सं० 1213/40874 पर बकाया मु०-1,05,432 रुपये पर पूर्व में संयोजन विच्छेदित किया गया था जो बिना विद्युत विल जमा किये व बिना विद्युत विभाग की अनुमति के अपने स्तर से कटे हुये संयोजन को जोड़कर विद्युत का उपभोग करते पाया गया। घटना स्थल से वापस उपकेन्द्र बहादुरपुर कार्यालय आकर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत कम्प्यूटर द्वारा तहरीर प्रोफार्मा तैयार कराकर व अभियुक्त का नाम पता भरकर अपने हमराहियों को तहरीर पढ़कर सुनाई व उनसे हस्ताक्षर कराये व स्वयं तहरीर पर हस्ताक्षर करके थाना कोतवाली कन्नौज पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। पत्रावली में मौजूद मूल तहरीर कागज संख्या 4 ए/3 पर प्रदर्श क-1 अंकित किया गया। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था व मेरी निशानदेही पर दरोगा जी ने नक्शा नजरी तैयार किया था।

साक्षी पी.डब्लू.-1 राजेश कुमार ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह मुकदमा बिल बकाया होने पर किया गया था। उपरोक्त बिल शमन शुल्क व निर्धारण

शुल्क अभियुक्त द्वारा जमा किया जा चुका है।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू-1 के बयान से यह विदित होता है कि अभियुक्त पर बकाया समस्त धनराशि का भुगतान अभियुक्त द्वारा किया जा चुका है।

8. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा-138 बी विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू-1 अवर अभियंता राजेश कुमार के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

9. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

12. धारा-138 बी विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

13. धारा-138 बी विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

14. पत्रावली में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज, जनपद

कन्नौज द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 24.02.2025 के अनुसार उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त अनिल शुक्ला पुत्र रामशंकर शुक्ला निवासी मोहल्ला सरदार गली सरायमीरा थाना व जनपद कन्नौज द्वारा पंजीकृत अपराध में बकाया विद्युत बिल का भुगतान रसीद सं० 957999502169 दिनांक 02.01.2024 को जमा कर दिया है। साथ ही राजस्व निर्धारण शुल्क 18,412/-रूपये रसीद सं० 333316326694 द्वारा दिनांक 27.12.2024 च शमन शुल्क धनराशि रू० 8,000 रशीद संख्या 333201814643 द्वारा दिनांक 17.01.2025 को जमा कर दिया गया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुका है।

15. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया धारा-138 बी विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र परीक्षण संख्या-97/2019 राज्य बनाम अनिल शुक्ला, अन्तर्गत धारा-138 बी विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या-191/2018 थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त **अनिल शुक्ला** आरोपित अपराध में दोषमक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-97/2019 बाबत मुकदमा अपराध संख्या-191/2018 थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत धारा-138 बी विद्युत अधिनियम 2003 से अभियुक्त **अनिल शुक्ला** को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

दिनांक-01.04.2026

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code- UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक-01.04.2026

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code- UP6489